दिनांक-11.06.2020 को प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के साथ हुई बैठक की कार्यवाही ।

दिनांक-11.06.2020 को प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा "जल-जीवन-हरियाली" अभियान के तहत निकल रहे मूर्तियों के संबंध में निम्न निदेश दिये गये ।

- लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत चल रहे "जल-जीवन-हरियाली" अभियान के तहत जो भी मूर्ति निकली है उसकी सूचना संबंधित कार्यपालक अभियंता अविलम्ब संबंधित थाना एवं जिलाधिकारी को देंगे । आहर, पईन या तालाब की खुदाई में जहाँ मूर्ति निकलती है उस स्थान का कार्य स्थगित कर संबंधित थाना को अविलम्ब सूचित करेंगे ।
- Seizure बनायेंगे तथा Seizure में गवाह के रूप में स्थल पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, संवेदक या अन्य गवाह बनेंगे एवं Seizure list की प्रति प्राप्त करेंगे । Seizure list में जिस जगह की खुदाई करते समय मूर्ति या अन्य धातु निकलता है तो उसका उल्लेख होना चाहिए । साथ ही उसका रंग, साईज, वजन आदि का भी उल्लेख होना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में निजी व्यक्तियों के हाथ में मूर्ति न देकर स्थानीय जिला प्रशासन को देना है ।
- इस संबंध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा भी अपने स्तर से पत्र निर्गत किया जा रहा है । मूर्ति या कोई अन्य विशिष्ट धातु निकलने पर उसकी जानकारी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नोडल पदाधिकारी श्री अनिमेष कुमार पराशर, जिनका मोबाईल नं०-8544426006 पर देंगे एवं फोटो भी भेजेंगे । जहाँ भी मूर्ति निकलती है उस स्थान का फोटोग्राफ, योजना का नाम एवं विवरण होना चाहिए । साथ ही वीडियोग्राफी कर उसकी सॉफ्ट कॉपी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नोडल पदाधिकारी को भेजेंगे ।

11/06/2020

(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक : 1152 (मो०) पटना, दिनांक : 11/6/2020

प्रतिलिपि : सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग एवं विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/06/2020

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक : 1152 (मो०) पटना, दिनांक : 11/6/2020

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

11/06/2020

विशेष सचिव ।